

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 771]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2006/आषाढ़ 30, 1928 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2006/ASADHA 30, 1928

No. 771)

## लघु उद्योग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2006

का.आ. 1154(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा । की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 2 अक्तूबर, 2006 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधि नियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[सं. 2(3)/2006(एफ) एसएसआई]

जवाहर सरकार, अपर सचिव

## MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2006

S.O. 1154(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby appoints the 2nd day of October, 2006 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[No. 2(3)/2006(F) SSI] JAWHAR SIRCAR, Addi. Secy.

(1)

2231 GI/2006